भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †4298
सोमवार, 27 मार्च, 2023/6 चैत्र, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटक पुलिस योजना

†4298. श्री पिनाकी मिश्राः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पर्यटक पुलिस योजना सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए पर्यटन स्थलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वर्ष 2019 में इस योजना के प्रायोगिक परीक्षण के बाद से इसके कार्य-निष्पादन का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकार का विषय है तथापि पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों की सुरक्षा चिंताओं से भली भाँति अवगत है और उसने पर्यटकों को सुरक्षित एवं संरक्षित परिवेश प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। पर्यटन मंत्रालय की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस की तैनाती की है।

(घ) और (ङ): वर्ष 2019 में प्रायोगिक रूप से इस योजना की शुरुआत के बाद से इसके निष्पादन के आकलन के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है तथापि पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटक पुलिस के कामकाज तथा सर्वोत्कृष्ट कार्यपद्धतियों के अभिलेखन के संबंध में पर्यटन मंत्रालय के अधीनस्थ स्वायत्तशासी संस्थान भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम) के जरिए वर्ष 2016 में एक अध्ययन करवाया था।

इसके अतिरिक्त एक व्यापक कार्यढाँचा तैयार करने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर&डी) ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की पर्यटक पुलिस के लिए पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार किया है। यह रिपोर्ट और प्रशिक्षण कार्यक्रम गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय तथा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ भी साझा किया गया है। तदनुसार पर्यटन मंत्रालय ने गृह मंत्रालय और बीपीआर&डी के सहयोग से दिनांक 19.10.2022 को नई दिल्ली में सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों (डीजी)/महानिरीक्षकों (आईजी) के साथ पर्यटक पुलिस योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

*****